

( राजस्थान-सरकार )

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दुर्गा शंकर मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 10/2023

**बउनवान**

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों  
(प्रार्थी)

**बनाम**

1. श्री संजय कुमार उम्र 43 पुत्र सूरजमल जाति महाजन निवासी श्रीजी चौक बारों (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स केशव ट्रेडिंग कम्पनी, अम्बेडकर सर्किल बारों (राज.)
2. मैसर्स केशव ट्रेडिंग कम्पनी, अम्बेडकर सर्किल बारों (राज.)
3. श्री भरत वर्मा पुत्र श्री उमाशंकर वर्मा निवासी खटीको का मोहल्ला, अहीरवाडा वार्ड नं. 2, कैथून कोटा (निदेशक) मैसर्स बेकवुड ब्रदर्स कन्जूमर एण्ड फूड प्रा.लि. आदित्य नगर शॉ पेट्रोल पम्प के पास, कैथून कोटा (राज.)
4. श्री पवन वर्मा पुत्र श्री उमाशंकर निवासी अहीरवाडा संगम डेयरी के पास वार्ड नं. 2 कैथून जिला कोटा (निदेशक) मैसर्स बेकवुड ब्रदर्स कन्जूमर एण्ड फूड प्रा.लि. आदित्य नगर शॉ पेट्रोल पम्प के पास, कैथून कोटा (राज.)
5. मैसर्स बेकवुड ब्रदर्स कन्जूमर एण्ड फूड प्रा.लि. आदित्य नगर शॉ पेट्रोल पम्प के पास, कैथून कोटा (राज.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :- 1- श्री गोवर्धन सिंह खा.सु.अ. (प्रार्थी)  
2- अप्रार्थी क्रम 1,2,3 स्वयं उपस्थित  
3- अप्रार्थी क्रम 4 अनुपस्थित  
4- अप्रार्थी क्रम 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत

**निर्णय दिनांक 07.02.2023**

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्जे श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.10.2022 को मैसर्स- केशव ट्रेडिंग कम्पनी, अम्बेडकर सर्किल बारों जिला बारों (राज.) पर पहुंचा। वहाँ पर श्री संजय कुमार पुत्र सूरजमल महाजन (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.10.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ-28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **तेजा मिर्च पाउडर(Xtra Bite)** 500 ग्राम मूल पौली पेंक लकडी की रेंक में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **तेजा मिर्च पाउडर(Xtra Bite)** 500 ग्राम मूल पौली पेंक में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **तेजा मिर्च पाउडर(Xtra Bite)** 500 ग्राम मूल पौली पेंक के 04 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री संजय कुमार पुत्र सूरजमल महाजन(विक्रेता एवं मालिक) को 450/- रूपये (अक्षरे चार सौ पचास रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **तेजा मिर्च पाउडर(Xtra Bite)** 500 ग्राम मूल पौली के 04 मूल पैक पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1577 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1577 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जापें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री संजय कुमार पुत्र सूरजमल महाजन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/349 दिनांक 09.11.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1395/PHL/kota/Act/2022/1398 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **तेजा मिर्च पाउडर(Xtra Bite)** 500 ग्राम मूल पौली पेंक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 03.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ज रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1,2,3 द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई है। अप्रार्थी क्रम 4 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया है जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। अप्रार्थी क्रम 4 को रूक रूक कर तीन बार आवाज दिलवाई गई, उसके अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी क्रम 5 की ओर स जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ तेजा मिर्च पाउडर(Xtra Bite) 500 ग्राम मूल पौली पेंक को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा उक्त कम्पनी से बिल के जरिये माल खरीदा गया था जिसकी प्रति उक्त परिवाद में संलग्न है। अप्रार्थी क्रम 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब के माध्यम से अवगत करवाया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा मेरी निर्माता फर्म बेकवुड ब्रदर्स कन्जूमर एण्ड फूड प्रा.लि. द्वारा निर्माण किये गये खाद्य पदार्थ तेजा मिर्च पाउडर(Xtra Bite) 500 ग्राम मूल पौली पेंक का नमूना वास्ते जांच मैसर्स केशव ट्रेडिंग कम्पनी अम्बेडकर सर्किल बारां से दिनांक 13.10.2022 को लिया गया था। जो जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा की जांच रिपोर्ट द्वारा मिथ्याछाप घोषित किया गया। यह कि मेरी फर्म द्वारा निर्मित तेजा मिर्च पाउडर(Xtra Bite) में जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है। यह कि मेरी फर्म द्वारा निर्मित तेजा मिर्च पाउडर(Xtra Bite) जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा एक्सपाईरी डेट नहीं होना दर्शाते हुये मिथ्याछाप करार दिया गया है। जबकि मेरे मूल पोलिपेंक पर BEST BEFORE 8 MONTHS FROM PACKING पहले ही लिखा जा चुका है। जो कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी अंकित है। यह कि मेरी फर्म द्वारा निर्मित तेजा मिर्च पाउडर(Xtra Bite) प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में भी शुद्ध पाया गया है तथा BEST BEFORE भी मेरे द्वारा अंकित है। श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे व अन्य को इस प्रकरण में जुर्माना माफ करने की कृपा करे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1395/PHL/kota/Act/2022/1398 दिनांक 28.10.2022 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी को जर्गे पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच हेतु क्य किया गया खाद्य पदार्थ तेजा मिर्च पाउडर (Xtra Bite) 500 ग्राम मूल पौली पेंक खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1395/PHL/kota /Act/2022/1398 दिनांक 28.10.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 3,4,5 को कुल जुर्माना राशि 15,000/- रुपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 4 के अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी उसको पालनार्थ रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( दुर्गा शंकर मीना )  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट,  
बारां (राज.)